समाचार

नियमों का पालन न करने पर लगा 5200 रूपये जुर्माना

(मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर निगम कर रहा लगातार कार्यवाही)

कोरबा 09 अक्टूबर 2020 –मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा कोविड–19 के नियमों का पालन न करने पर अर्थदण्ड लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने आदि प्रकरणों पर 10 एवं 11 अक्टूबर को 5200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा लोगों को समझाईश दी गई कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, दुकानों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन न करें।

निगम क्षेत्र में 1961 होम आईसोलेट, 1085 आईसोलेशन से डिस्चार्ज– नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत अभी तक कोविड–19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 1961 मरीज होम आईसोलेट हैं, वहीं 1085 व्यक्तियों को होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोन में 203, टी.पी.नगर जोन में 184, रविशंकर शुक्ल जोन में 225, कोसाबाड़ी जोन में 570, बालको जोन में 290, दर्री जोन में 252, सर्वमंगला जोन में 123, बांकीमोंगरा जोन में 114 बिना लक्षण या कम लक्षण वाले कोविड–19 के पाजिटिव मरीज होम आईसोलेशन पर हैं। नगर निगम कोरबा के अमले एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरंतर होम आईसोलेट मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है तथा होम आईसोलेशन की पात्रता रखने वाले नए कोविड–19 के मरीजों को होम आईसोलेशन कराने, उनके घरों में स्टीकर लगाने, उन्हें दवाईयों का किट उपलब्ध कराने सहित अन्य आवश्यक दायित्वों का सजगतापूर्वक निवर्हन निगम अमले द्वारा किया जा रहा है।

खुले में स्वल्पाहार न कराएं, पैक करके दें–कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक है कि कोविड–19 के प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए किन्तु देखने में आ रहा है कि लोग चौपाटी, खानपान के ठेलों, गुमठियों आदि में पहुंचकर स्वल्पाहार सामग्री लेते हैं तथा वहीं पर खुले में खाते हैं, जिसके लिए वे अपना मास्क उतारते हैं, साथ ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी होता है, इससे संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने निगम के जोन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे गुमठी, ठेले के संचालकों को कड़ी हिदायत दें कि वे ग्राहकों को पैक कर स्वल्पाहार सामग्री दें तथा उन्हें घर ले जाकर सेवन करने को कहें, यदि दुकानदारों द्वारा इसका उल्लंघन कर लोगों को खुले में स्वल्पाहार कराया जाता है तो अर्थदण्ड के साथ ही गुमास्ता अनुमति, लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार खुले में पान, गुटका, सिगरेट का सेवन करने व सड़कों पर थूंकने वालों पर भी कार्यवाही करें।